कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-277/2023 दिनांक-29.08.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- महराजगंज

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)–वादी मुकदमा थाना महराजगंज जनपद- आजमगढ़ की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 18.08.23 को मु0अ0सं0 260/23 धारा 363/120बी भादवि बनाम एक बाल अपचारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ के विरूद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीड़िता के बयान व उम्र के आधार पर धारा 376,366 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक 29.08.23 को उ0नि0 आशुतोष मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को समय करीब 10.50 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

थाना- फूलपुर

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27-08-2023 को वादी मुकदमा रवि यादव पुत्र कैलाश यादव सा0 कौडिया थाना फूलपुर आजमगढ के द्वारा लिखित प्रार्थना दिया गया कि मोटर साइकिल पर मोबाईल रख कर शौच करते समय मोटर साइकिल सवार व्यक्ति द्वारा मोबाइल चोरी कर भागना मना करने पर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 364/23 धारा 382 भादवि विरुद्ध मो0 दाऊद पुत्र मो0 अकरम सा0 सदरपुर बरौली थाना फूलपुर पजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 देवी प्रसाद मिश्रा के द्वारा की जा रही है ।

उ0नि0 देवीप्रसाद मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्त मो0 दाऊद पुत्र मो0 अकरम ग्राम सदरपुर बरौली थाना फूलपुर आजमगढ उम्र 27 वर्ष को नाजायज चाकू के साथ सदरपुर बरौली गेट से दिनाक 29.8.23 को समय 7.30 बजे को हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. मो0 दाऊद पुत्र मो0 अकरम ग्राम सदरपुर बरौली थाना फूलपुर आजमगढ उम्र 27 वर्ष

बरामदगी का विवरणः- मोबाईल व नाजायज चाकू बरामद।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 368/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद	आरोप पत्र
1	364/23	धारा 382,411,506 भादवि	फूलपुर	आजमगढ	विवेचनाधिन
2	368/23	धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़	विवेचनाधिन

गिरफ्तारी करने वाली टीम –1.उ0नि0 देवी प्रसाद मिश्रा मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़ ।

थाना- मेंहनगर

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादिनी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर शिकायत कि वादिनी की पुत्री उम्र 16 वर्ष जो कक्षा 11 की छात्रा है जिसे दिनांक 23.11.2022 को रात्रि 8 बजे बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर शिवल उर्फ माखन पुत्र वेंचू राम निवासी ग्राम कबुतरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ बम्बई लेकर चला गया तथा वादिनी की पुत्री को प्रताड़ित किया गया, प्रार्थिनी की पुत्री मौका पाकर बम्बई से शिवल के चंगुल से भाग कर दिनांक 14.8.23 को घर आयी घर आकर पुरी बात बतायी जिसके सम्बन्ध में मु.अ.सं. 377/23 धारा 363/366 भादवि दर्ज किया गया है। विवेचना से धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण .... आज दिनांक 29.08.2023 को उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिवल उर्फ माखन पुत्र बेचूराम सा0 कबुतरा थाना तरवाँ आजमगढ को मुखबीर खास की सूचना पर जिगनी बाजार से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- शिवल उर्फ माखन पुत्र बेचूराम सा0 कबुतरा थाना तरवाँ आजमगढ

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 377/23 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर, आजमगढ

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह थाना मेंहनगर, आजमगढ़ ।

थाना – रौनापार

प्रतिबंधित पशु के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –वादी उ0नि0 उमेश चन्द पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली की मैजिक गाड़ी से कुछ प्रतिबंधित पशुओं को निर्दयता पूर्वक लादकर वध के लिए ले जाने वाले है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर अभियुक्त 1.अबू सहम पुत्र जमशेद निवासी हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2. विजय शंकर यादव पुत्र स्व0 बब्बन यादव निवासी ग्राम सरया डोभवा थाना पकड़ी जनपद बलिया 3. अजय वर्मा पुत्र त्रिलोकी वर्मा निवासी धनौतीधुरा थाना गड़वार जनपद-बलिया को हाजीपुर बाजार से 02 प्रतिबंधित पशु व एक मैजिक गाड़ी के साथ समय करीब 12.05 बजे रात्रि को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 288/23 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 घ,ड, पशु क्रुरता अधि0 बनाम 1.अबू सहम पुत्र जमशेद निवासी हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ आदि 03 नफर के विरुद्ध दिनांक 29.08.23 समय 01.01 बजे पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के बयान व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त अजय वर्मा पुत्र त्रिलोकी वर्मा निवासी धनौतीधुरा थाना गड़वार जनपद-बलिया का नाम प्रकाश में आया है। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब हम लोगो का असली मालिक जयराम यादव पुत्र ज्ञात ग्राम कचबचिया थाना सुखपुरा जनपद बलिया है । जब हम लोग गाड़ी से गायो को लेकर चलते है तो जयराम अपना मोटर साईकिल लेकर आगे पीछे चलता रहता है। आज भी जब मैजिक गाड़ी पकड़ी गई तो जयराम यादव भी मोटर साईकिल से पीछे था सम्भवतः गाड़ी रुकने तथा पुलिस को देखकर पकड़े जाने के डर से पिछे मुड़ कर भाग गया होगा।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 288/23 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 घ,ड, पशु क्रुरता अधि0थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.अबू सहम पुत्र जमशेद व विजय शंकर यादव पुत्र स्व0 बब्बन यादव उपरोक्त

1.FIR NO- 806/20 धारा 307/419/420 भादवि व 3/5ए/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0अधि0 व 207एमबी एक्ट थाना कोतवाली जनपद देवरिया,

2. FIR NO- 887/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद देवरिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.अबू सहम पुत्र जमशेद निवासी हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2. विजय शंकर यादव पुत्र स्व0 बब्बन यादव निवासी ग्राम सरया डोभवा थाना पकड़ी जनपद बलिया

3. अजय वर्मा पुत्र त्रिलोकी वर्मा निवासी धनौतीधुरा थाना गड़वार जनपद-बलिया

बरामदगीः- 02अदद गाय व 01 मैजिक गाड़ी बरामद हुआ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 उमेश चन्द पाण्डेय मय हमराह थाना रौनापार आजमगढ़

थाना- कोतवाली

अवैध तमंचा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.8.23 को उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध असलहा लेकर आइनिया की तरफ से रहमतनगर की तरफ आ रहा है , इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा उसने अपना नाम महावीर पुत्र रविकान्त निवासी हरिबंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष बताया। अभियुक्त को समय 05.00 बजे गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 484/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-महावीर पुत्र रविकान्त निवासी हरिबंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरणः- एक अदद देशी अवैध तमन्चा-315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 484/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

01. उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़।